(51)

IN THE COURT OF BOARD OF REVENU M.P. AT GWALIOR

R - 2109 - III/2000

C.F.R's 15/-

APPLICANT : Ram Sajiwan S/o Bimla Sharma Brahmin aged about 57 Years occupation agriculture R/o Village Dakbar, Tahsil-Huzur, Distt.-REWA (M.P.)

क्रमांक .... श्री उपेन्द्र मणि त्रिपाठी अभिभाषक अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 7/11/2000 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

VERSUS

NON-APPLICANTS :

7 NOV 2000

(1) (A) Ramjiyawan S/o Sarjoo Sahu aged about 52 years Occupation Business R/o Village Dakbar, Tahsil - Huzur, District - Rewa (M.P.)

(B) Ram Khelawan S/o Sajoo Sahu aged about 47 years Occupation Business R/o Village Dakbar Tahsil - Huzur, District - REWA (M.P.)

(C) Shyamlal S/o Sarjoo Sahu aged about 42 years Occupation Business and agriculture R/o Village Dakbar Tahsil-Huzur, District-REWA (M.P.)

U.M. Tripathi
Advocate Rent
7/11/2000

(D) Ramlal S/o Sarjoo Sahu aged about 37 years Occupation Business and agriculture R/o Village-Dakbar, Tahsil-Huzur, Distt.-Rewa (M.P.)

(E) Babulal S/o Sarjoo Sahu aged about 32 years Occupation Agriculture R/o Village Dakbar, Tahsil-Huzur, District-REWA (M.P.)

died

Ammended by order of the Court Dated 24/12/02

(F) ~~Mst. Widow of Sarjoo aged about 81 years Occupation Domestic work R/o Village Dakbar Tahsil-Huzur, District REWA (M.P.)~~ "Dead"

(G) Mst. Dua daughter of Sarjoo Sahu aged about 47 Years R/o Village-Dakbar, Tahsil-Huzur, District - REWA (M.P.)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2109–तीन/2000 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
05–8–2016	उभय पक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष पुनऊआ तनय सहदेव द्वारा हलफनामा के साथ दिनांक 21–8–2000 को एक आवेदन पत्र दिया गया है कि अनावेदक सरजू की माह दिसम्बर 1998 में मृत्यु हो चुकी है तथा आवेदक द्वारा मृतक के उत्तराधिकिरियों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। आवेदक ने तर्क में बताया कि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण अधीक्षक के यहां वारिसान आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण में संलग्न नहीं हो सका। 2/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के अवलोकन एवं आवेदन पत्र की प्रति के अवलोकन उपरांत यह पाया कि अनावेदक की मृत्यु दिसम्बर 1998 में हुई और आवेदक ने दिनांक 26–3–98 को ही मृतक वारिसान को पक्षकार बनाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना दर्शाया है। अनोवदक की मृत्यु के पूर्व ही आवेदन प्रस्तुति दर्शाना अविश्वसनीय एवं हास्यास्पद माना तथा निगरानी उपसमित की गई। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि मृत्यु के पूर्व ही आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी तर्क	